सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

| | | |
|---|---|---|
| 09.2.18 | अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। अभिभाषक अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थिति। बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सीपीसी सुनी गई। प्रस्तुत अपील में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व रेस्पोडेन्ट संख्या 7 फौत हो चुके है। विद्वान अभिभाषक अपीलांट/प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6 के अधिवक्ता द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 राजूराम के फौत होने की सूचना प्रदान की गई है। इस आश्य का अंकन फर्द अहकाम के हाशिये पर सूचना अंकित की गई है। यह कि अपीलांट एक वृद्व एवं बीमार व्यक्ति है। इसलिए रेस्पोडेन्ट संख्या 2 राजूराम के वारिसान के कायम मुकाम की जानकारी अपीलांट को मिलना असंभव है। अपीलांट व रेस्पोडेन्ट दोनों अलग–अलग स्थानों पर निवास करते है। अपीलांट मेधवाल जाति का व्यक्ति है व रेस्पोडेन्ट उच्च जाति व समाज के लोग है। जिनसे किसी संवाद की संभावना नहीं है। इससे पूर्व भी रेस्पोडेन्ट संख्या 7 स्व. जेठूराम के लिये भी प्रयास करने पर भी उसके बारे में भी कोई जानकारी हासिल नहीं हो पाई थी।<br><br>उन्होंने आगे बताया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 7 के वरिसान की सूचना देने का दायित्व रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता का भी बनता है। इस संबंध में विद्वान अभिभाषक द्वारा सिविल कोर्ट केसेज 2010 पार्ट II में का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया है जिसमें अभिलिखित है किः–<br><br>**Civil Procedure Code, 1908, O.22 R-4- Death of defendant during pendency of suit- It is duty of the L.R's of deceased to come on record to their own and contest the suit.**<br><br>रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 व 6 रेस्पोडेन्ट संख्या 6 राजूराम के सगे भाई है और जेठाराम के भतीजे है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 7 के जायज वारिसान को स्वयं रिकार्ड पर आने का प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए था। जैसा कि उनके द्वारा प्रकरण में नहीं किया गा है। | |

| | | |
|---|---|---|
| | जबकि अपीलांट 79 वर्ष का अतिवृद्व व्यक्ति है जो दमें व गठिया का रोगी, अशक्त व्यक्ति है। अपीलांट द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6 के अधिवक्ता से स्व. राजूराम व स्व. जेठूराम के जायज वारिसान की सूचना प्रस्तुत करने हेतु निवेदन किया गया था। लेकिन अधिवक्ता ने एतद् द्वारा कोई जानकारी आज दिनांक तक पेश नहीं की है। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय डब्ल्यूएलसी 1997 पेज 597 के अनुसार मृतक पक्षकार के अधिवक्ता पर इस आश्य की सूचना^ वारिसान की सूची> प्रस्तुत करने का दायित्व निर्धारित किया गया है।<br><br>अपीलांट ने बड़ी कठिनाई से काफी गर्ज गुजारिश करने के बाद टुकड़ों–टुकड़ों में 10–02–15 तक जो जानकारी हासिल हुई है वह न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दी गई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की और से कोई लापरवाही, सुस्ती व प्रार्थना पत्र विलम्ब से पेश नहीं किया गया है। तमाम जानकारी दिनांक 13–01–2015 को प्राप्त हुई। अतः प्रार्थना पत्र अन्दर मियांद शुमार करते हुए विलम्ब को कण्डोन फरमाते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 7 के जायज वारिसान को रिकार्ड पर लेते हुए बतौर रेस्पोडेन्ट प्रतिस्थापित किया जाकर अबेटमेंट निरस्त फरमाया जावे।<br><br>उन्होंने आगे बताया कि जहॉ प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना हो वहॉ प्रकरण को तकनीकी बिन्दु पर निस्तारित किये जाने के स्थान पर गुणावगुण पर निर्णित किया जाना चाहिए। इस संबंध में आरआरटी 2014 पार्ट II पेज 1308 में यह अभिनिर्धारित है किः–<br><br>**Code of civil procedure, 1908 order 22, Rule 4- Substitution LR's od defendant no. 3-Suit abated against the deceased defendant Application rejected- Revision against the order pending since 2002- Non-petitioners did not appear despite service of notice-Plaintiff has deprived from justice on technical point-Held, Order** | |

| | | |
|---|---|---|
| | **set aside & application is allowed.**<br><br>विद्वान अभिभाषक अपीलांट/प्रार्थी ने अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 2000 पेज 551, आरआरटी 2010 पार्ट I पेज 167 के न्यायिक दृष्टांत भी पेश किये।<br><br>विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थी ने प्रतिउत्तर बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 7 जेठू पुत्र स्व. जोराराम की मृत्यु की सूचना न्यायालय की पत्रावली व आदेशिका में दिनांक 03–01–2013 को प्रस्तुत की जा चुकी थी। तत्पश्चात् अपीलांट द्वारा दिनांक 07–04–2014 को रेस्पोडेन्ट संख्या 7 के कायम मुकाम को रिकार्ड पर प्रतिस्थापित करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अर्थात करीब 1 वर्ष 4 माह व करीब 9 पेशिओं के उपरान्त उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।<br><br>उन्होंने आगे बताया कि इसी प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 2 राजूराम पुत्र स्व. नत्थूराम के फौत की सूचना न्यायालय के समक्ष दिनांक 27–06–14 को रिकार्ड पर उपलब्ध हो चुकी थी। जबकि अपीलांट द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के जायज वारिसान को रिकार्ड पर लेने हेतु दिनांक 12–02–15 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अर्थात करीब सात माह व 10 पेशियों के उपरान्त उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। विद्वान अभिभाषक अपीलांट/प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में विलम्ब का कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट का यह कथन कि वह 75 वर्षीय वृद्व व मेघवाल जाति का व्यक्ति है। इसलिए समय पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सका। विलम्ब को कण्डोन करने का पर्याप्त कारण नहीं है। जहॉ पक्षकार अपने वाद के प्रति जागरूक नहीं है वहॉ न्याय उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। न्याय का यह सिद्वान्त है कि जहॉ किसी पक्षकार के जायज वारिसान को रिकार्ड पर लेने का प्रार्थना पत्र समय पर प्रस्तुत नहीं किया गया हो वहॉ अपील स्वतः ही अबेट हो जाती है।<br><br>इस संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत भी अभिनिर्धारित किया गया है कि पक्षकार की मृत्यु | |

| | | |
|---|---|---|
| | के 90 दिवस के भीतर–भीतर वारिसान को रिकार्ड पर लेने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना अपरिहार्य है। जैसा कि प्रकरण में अपीलांट द्वारा नहीं किया गया है। अपीलांट अपने कृत्य के प्रति लापरवाह रहे है। अपीलांट की अपील अबेट हो चुकी है।<br><br>**सिविल प्रकिया संहित, 1908 आदेश 22, नियम 4 वाद का उपशमन– प्रतिवादी की 13–08–2007 को मृत्यु हुई–आवेदन 16–04–2009 को विधिक प्रतिनिधियों के प्रतिस्थापन हेतु पेश किया–आवेदन खारिज किया–मियांद में आवेदन पेश नहीं किया–उपशमन स्वतः है एवं स्पष्ट आदेश आवश्यक नहीं–निर्णित, आवेदन खारिज करने का आदेश न्यायोचित है।**<br><br>इसी प्रकार आरआरटी 2013 पार्ट II पेज 1415 में भी यह अभिनिर्धारित किया गया है किः–<br><br>**Code of Civil Procedure, 1908 Order 22, Rule 3- Death of petitioner no. 1 on 10-6-2002- Application filed on 17-9-2002 to substitute the petitioner- Application filed beyond limitation-Abatement was automatic-No application filed u/s order 22 Rules 9 for setting aside the abatment-Held, Order of substitution of LR's is set aside & suit has abated.**<br><br>इस प्रकार विभिन्न नजीरों के माध्यम से यह बिन्दु अभिनिर्धारित किया जा चुका है कि जब पक्षकारों के जायज वारिसान को रिकार्ड पर लेने का प्रार्थना पत्र नियमानुसार 90 दिवस की अवधि में प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो अपील स्वतः अबेट हो जाती है। इसके लिए अलग से आदेश प्रसारित करने की भी आवश्यकता नहीं है। चूंकि अपीलांट की अपील उपरोक्त नजीरों के प्रकाश में अबेट हो चुकी है। अतः अपीलांट का प्रार्थना बाबत् अबेटमेंट निरस्तीकरण खारिज किया जाकर अपीलांट की अपील इसी स्तर पर जरिये अबेटमेंट खारिज फरमाई जावे। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपने कथन के | |

समर्थन में आरआरसी 1998 पेज 645, आरआरडी 2005 पेज 764 डीबीत्र व ए.आई.आर. 1983 एससी पेज 677 के न्यायिक दृष्टांत भी पेश किये।

विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई व पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

प्रस्तुत प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 7 जेठू पुत्र स्व. जोराराम के फौत की सूचना अपीलांट के समक्ष दिनांक 03–01–2013 को प्रस्तुत हो चुकी थी। **अपीलांट द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 7 के कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र न्यायालय के समय दिनांक 07–04–2014 को प्रस्तुत किया गया है जोकि करीब 1 वर्ष 4 माह उपरान्त व न्यायालय की आदेशिका के अनुसार 9 पेशियों के उपरान्त पेश है।**

इसी प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 2 राजूराम पुत्र स्व. नत्थूराम के फौत की सूचना अपीलांट को दिनांक 27–06–2014 को प्राप्त हो चुकी थी। **अपीलांट द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष दिनांक 12–02–2015 को प्रस्तुत किया गया है। जोकि करीब 7 माह व्यतीत होने के उपरान्त व न्यायालय की आदेशिका के अनुसार 10 पेशियों के उपरान्त पेश किया गया है।**

उक्त सूचना भी अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। जबकि अपीलांट का यह दायित्व था कि वह न्यायालय हाजा के समक्ष स्वयं प्रार्थना पत्र के साथ इस आश्य की सूचना प्रेषित करता। अपीलांट द्वारा ऐसा नहीं किया गया है।

सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 22 नियम 4 के तहत प्रतिवादी की मृत्यु के उपरान्त 90 दिवस के भीतर–भीतर कायम मुकाम के प्रार्थना पत्र के साथ वारिसान को रिकार्ड पर लिया जाना अपरिहार्य है। जबकि अपीलांट द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 7 की मृत्यु के करीब एक वर्ष चार माह उपरान्त व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की मृत्यु के करीब सात माह उपरान्त उसके

| | | |
|---|---|---|
| | वारिसान को रिकार्ड पर लेने का कोई प्रार्थना पत्र न्यायालय क समक्ष प्रस्तुत किया गया है जो स्पष्टः मियांद बाहर पेश है। अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह कथन कि अपीलांट एक वृद्व व मेधवाल समाज का व्यक्ति है व रेस्पोडेन्ट राजपूत समाज के व्यक्ति है। ऐसी स्थिति में उन्हें मृतक रेस्पोडेन्ट के जायज वारिसान की सूचना प्राप्त नहीं हो सकी है। उक्त कारण यहॉ तक तो सही माना जा सकता है कि उसके जायज वारिसान की सूचना प्राप्त नहीं हो पाई लेकिन रेस्पोडेन्ट् संख्या 7 व 2 के फौत की सूचना का प्रार्थना पत्र तो नियत अवधि में प्रस्तुत किया ही जा सकता था। अपीलांट केवल मात्र इस कथन से की वह वृद्व व मेघवाल समाज का व्यक्ति है प्रकरण में इस तथ्य के आधार पर कोई रिलिफ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।<br><br>ऐसी स्थिति में अपीलांट जानकारी के बावजूद भी अदालत हाजा के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में असफल व लापरवाह रहे है। न्याय की भी यह मंशा रही है कि सोया हुआ व्यक्ति न्याय प्राप्त नहीं कर सकता।<br><br>इस संबंध में अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 3 /प्रार्थी द्वारा प्रस्तु नजीर आरआरडी 2001 पेज 118 जिसमें अभिलिखित है कि **"Code of civil procedure, order 22 Rule, 4 Appeal against order of RAA- Held, defendant 'p' expired on 1-2-93- information given on 24-2-93 by counsel of deft.- Application to take L,Rs. on record, submitted on 17-9-93 after a period of 150 days without on application u/s 5, Limitation Act- Contention of counsel for petitioner is that application submitted on 17-9-93 was under order 22 Rule 4 and order 22 Rule 9, therefore entitled for condonation, held wrong- proper reasons for delay, not explained or given in application- Application rejected at admission state.** मामलें पर पूर्णतया चस्पा होती है। | |

इस संबंध में अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत नजीर ए.आई.आर. 1983 एससी पेज 677 में यह स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया है किः–

**Order 22, Rule 11 of the Civil P.C. read with O.22, R 4 makes it obligatory to seek substitution of the heirs and legal representatives od deceased respondent if the right to sue survives. Such substitution has to be sought within the time prescribed by law of limitation. If no such substitution is sought, the appeal will abate.** मामलें में पूर्णतया चस्पा होती है।

अतः उरोक्त नजीरों के प्रकाश में अपीलांट की अपील सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 22 नियम 4 के तहत अबेट हो चुकी है। अतः अपीलांट की अपील जरिये अबेटमेंट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफतर हो।

^ डॉ0राकेश कुमार शर्मा>

राजस्व अपील प्राधिकारी

बीकानेर।